भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1433
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए धन

1433. **श्री राजकुमार रोतः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले दस वर्षों के दौरान बांसवाड़ा लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) योजना के तहत आवंटित धनराशि का विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजट आवंटन में देरी के कारण संबंधित सरकारी विद्यालय बच्चों को उधार पर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और क्या इन स्कूलों में काम करने वाले रसोइया-सह-सहायकों को कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार उक्त विद्यालयों को मध्याह्न भोजन निधि आवंटित करने और रसोइया-सह-सहायक को समय पर भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश सरकारी स्कूल एवं स्कूल बोर्ड राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) तथा कक्षा I से VIII तक अध्ययनरत सभी बच्चों को गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। केंद्र सरकार अनाज की कीमत, परिवहन लागत और प्रबंधन निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएमई) की लागत के लिए 100% सहायता देती है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं, जिसमें बच्चों को शामिल करने, कार्य दिवसों तथा स्कूलों के

बारे में ज़िलेवार विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी; स्कूलों में नामांकन; अनाज का उपयोग, खाना पकाने की लागत का उपयोग, परिवहन लागत, एमएमई, रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान, रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई के उपकरणों की खरीद इत्यादि शामिल होती है।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए एडब्ल्यूपीएंडबी पर विचार करने और उन्हें संस्वीकृति प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैठक होती है। पीएम पोषण के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा योजना के मानकों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संसाधनों का वितरण और निधि का आबंटन स्कूल स्तर तक (डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के स्कूल सहित) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों की संख्या तथा स्कूल के कार्यदिवसों की संख्या के आधार पर अनाज आवंटित किया जाता है।

पीएम पोषण योजना के तहत, स्कूलों में पका हुआ गरम भोजन बनाने और परोसने के लिए मानद रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) नियोजित किए जाते हैं तथा उन्हें वर्ष में 10 माह के लिए 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पका हुआ गरम भोजन बनाने एवं परोसने के लिए सीसीएच को मानदेय भी दिया जाता है। मानदेय का व्यय केंद्र सरकार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अनुमोदित साझा पद्धति के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन भी अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधि प्रदान कर मानदेय में वृद्धि करते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और पीएम पोषण योजना के तहत समय-समय पर जारी किए गए नियमों, दिशा-निर्देशों तथा निर्देशों में यह प्रावधान है कि किसी भी पात्र संस्थान में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे को इस योजना में शामिल किया जाना है एवं स्कूल के सभी दिवसों में उन्हें पका हुआ गरम भोजन परोसा जाएगा या, खाद्य सुरक्षा भत्ता जैसा भी लागू हो प्रदान किया जाएगा। तथापि, वर्ष के दौरान, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के यह ध्यान में आता है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ने, स्कूल के कार्य दिवस बढ़ने या किसी अन्य कारण से योजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता है, तो वे वर्ष के दौरान न्यायसंगत कारण बताकर भारत सरकार से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और अनाज की मांग कर सकते हैं।

*****